भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1729

13.02.2023 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

1729 श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर) के अंतर्गत एकत्रित प्लास्टिक के पुनर्चक्रण की निर्धारित न्यूनतम मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) नए ईपड़ीआर दिशा-निर्देशों के पश्चात् प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के औपचारिकीकरण और विकास द्वारा सृजित प्रस्तावित नौकरियों और लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध और ईपीआर दिशानिर्देशों का अनुपालन कराने के लिए किसी विशेष एजेंसी को सशक्त/सृजित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) 1 दिसम्बर, 2021 से उत्पादकों, आयातकों और ब्रॉन्ड स्वामित्व वालों द्वारा ईपीआर लक्ष्यों को पूरा न कर पाने पर भरी गई शास्तियों/क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ईपीआर प्रमाणपत्रों की बिक्री और खरीद तथा इससे स्थापित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के बाज़ार के अनुमानित आकार का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ङ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संबंधी दिशानिर्देश अधिसूचित किए थे। इन दिशानिर्देशों में प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन:उपयोग और पुनर्चक्रित प्लास्टिक वस्तु के उपयोग संबंधी अनिवार्य ईपीआर लक्ष्य विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

प्लास्टिक पैकेजिंग की विभिन्न श्रेणियों में प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर हेतु वर्ष-वार लक्ष्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	**लक्ष्य (विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का %)**
2024-25	30-50
2025-26	40-60
2026-27	50-70
2027-28 के बाद से	60-80

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत एकत्रित किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तरीय प्रवर्तनीय दायित्व से प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की चक्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा औपचारिक/अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र का विकास होगा। यथा संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां, जैसा भी अपेक्षित है, नियमों के उपबंधों को लागू करती हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियमों के उपबंधों के अनुसार, प्लास्टिक ब्रैंड मालिकों/उत्पादकों के पंजीकरण और ईपीआर को पूरा करने के संबंध में सभी एसपीसीबी/पीसीसी को दिनांक 06 अक्तूबर, 2020 को दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल में अधिशेष ईपीआर प्रमाण-पत्रों की बिक्री और खरीद हेतु एक अलग मॉड्यूल है। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रैंड मालिकों की कुल संख्या 5000 है, जिनके ईपीआर लक्ष्य 22.37 लाख टीपीए हैं। पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की कुल संख्या 1602 है।

****